

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारी:- शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बर:-68/2020

1. मोटसिंह पुत्र जोधाराम
2. ताराचंद पुत्र जोधाराम
3. पवन कुमार पुत्र श्रीचंद
4. पंकज कुमार पुत्र श्रीचंद
5. प्रवीण कुमार पुत्र श्रीचंद
6. सुभिता देवी पत्नी श्रीचंद

तमाज जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

-वादीगण

बनाम

1. शिवकरण पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर
2. जानी देवी पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर
3. मृतक बीरबल पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर
 - 3.1 सरोज देवी पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर
 - 3.2 अवनेश पुत्र बीरबल नाबालिग जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर
 - 3.3 नितेश पुत्री बीरबल नाबालिग जरिये कुदरती माता सरोज पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी राहडो का बास लादूसर तहसील मलसीसर
4. इन्द्राज पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी राहडो का बास, लादूसर तहसील मलसीसर
5. सजना पुत्री झाबरराम जाति जाट निवासी राहडो का बास, लादूसर तहसील मलसीसर
6. राजस्थान सरकार जिरये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मलसीसर

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 17.02.2021

वादीगणों द्वारा जरिये अधिवक्ता दावा इस आशय का पेश किया की सरहद मौजा राहडों का बास पटवार हल्का लादूसर तहसील मलसीसर के खाता संख्या 54 के खेत ख.न. 78 रकबा 0.30 है0, ख.न. 80 रकबा 4.60 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 4.63 है0 तथा खाता संख्या 26 के खेत ख.न. 55 रकबा 1.33 है0 भूमि अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमि वादीगण अपनी सहूलियत से कब्जा काशत है तथा उक्त कृषि भूमि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसमें मकान बनाकर आबाद हैं। प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 को वादीगण 1 व 2 के पिता व 03 लगायत 05 के दादा व प्रतिवादी सं. 06 के ससुर से विरासत में ग्राम अलसीसर में कृषि भूमि प्राप्त हुई जिस पर प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 05 कब्जा काशत है। जिसमें आपस में कोई विवाद नहीं है।

वर्णित भूमि में वादीगण के मध्य विभाजन हुआ है। विभाजन अनुसार ख.न. 55 रकबा 1.33 है0 में वादी सं 02 ताराचंद के हिस्से के हिस्से में 0.6650 है। एवं वादी सं. 3 लगायत 6 पवन कुमार पुत्र श्रीचंद, पंकज कुमार पुत्र श्रीचंद, प्रवीण कुमार पुत्र श्रीचंद सुभिता देवी पत्नी श्रीचंद के हिस्से में 0.6650 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड सं. 80 रकबा 4.60 है0 में से वादी संख्या 1 मोटसिंह के हिस्से में 2.300 है0, वादी सं 2 ताराचंद के हिस्से



में 1.15 है0 एवं वादी सं. 3 पवन कुमार पुत्र श्रीचंद के हिस्से में 1.15 है0 भूमि हिस्से में है। ख.न. 78 रकबा 0.30 है0 में वादी सं 2 ताराचंद पुत्र जोधाराम के हिस्से में 0.015 है0 भूमि एवं वादी पवन कुमार पुत्र श्रीचंद, पंकज कुमार पुत्र श्रीचंद, प्रवीण कुमार पुत्र श्रीचंद एवं सुभिता पत्नी श्रीचंद के हिस्से में 0.015 है0 भूमि हिस्से में है। उक्त बटवारे अनुसार ही वादीगण कब्जा काशत हैं जिस पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है। उक्त अनुसार ही वादीगण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है जिसमें प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 को कोर्अ आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादीगणों द्वारा जबाब दावा पेश किया गया जिसमें कोई आपत्ति ऐतराज नहीं किया गया। दावा दर्ज कर प्रतिवादीगणों की तलबी वास्ते जाबाबदेही की गई। वादीगण कब्जा काशत अनुसार वादीगण के हक में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा ग्राम राड़ों का बास में स्थित ख.न. 55 रकबा 1. 33 है0 में वादी सं 02 ताराचंद के हिस्से के हिस्से में 0.6650 है। एवं वादी सं. 3 लगायत 6 पवन कुमार पुत्र श्रीचंद, पंकज कुमार पुत्र श्रीचंद, प्रवीण कुमार पुत्र श्रीचंद सुभिता देवी पत्नी श्रीचंद के हिस्से में 0.6650 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ख.न. 80 रकबा 4.60 है0 में से वादी संख्या 1 मोटसिंह के हिस्से में 2.300 है0, वादी सं 2 ताराचंद के हिस्से में 1.15 है0 एवं वादी सं. 3 पवन कुमार पुत्र श्रीचंद के हिस्से में 1.15 है0 भूमि हिस्से में है। ख.न. 78 रकबा 0.30 है0 में वादी सं 2 ताराचंद पुत्र जोधाराम के हिस्से में 0.015 है0 भूमि एवं वादी पवन कुमार पुत्र श्रीचंद, पंकज कुमार पुत्र श्रीचंद, प्रवीण कुमार पुत्र श्रीचंद एवं सुभिता पत्नी श्रीचंद के हिस्से में 0.015 है0 भूमि हिस्से में है। तदानुसार ही तहसीलदार मलसीसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर